

3/01/2023 फावली पेश हुई। वक्तुलाप
फरीकन उपण कासे निर्णय फावली पेश हुई।
फावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अपलोडिंग
किया गया। वकील वादी की सहमत दस्तावेजों के
अपलोडिंग एवं नापब रहसीलदार गण्डाला से
प्राप्त कुरीजत रिपोर्ट के आधार पर वादी का
वाद डिक्ली किया जाता है। निर्णय अलग से
लिखकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। फावली
नम्बर से कम हो बाद प्रति वाकील कफतार हो।
सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
बहरांड (अलवर) राज.